उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-I

सेवा नियमावली

1992

कृषि विभाग,

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-1

सेवा नियमावली

1992

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि अनुभाग-।

संख्या-।382 /।2-।-92-2।34/77

लखनऊ: दिनांक 29-2-।992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि §समूह"क" पद§ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि §समूह "क" पद§ सेवा नियमावली,।992

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।- §।§ यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि §समूह"क" पद§ सेवा नियमावली,।992 कही जायेगी।

§2§ यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2- उत्तर प्रदेश/कृषि §समूह"क"पद§ सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-

§क§ नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य, राज्यपाल से है,

§ख§ संविधान का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

§ग§ "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

§घ§ "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

से है,

§ङ§ "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

§च§ "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि §समूह "क" पद§ सेवा से है,

§छ§ "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित-प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,

§ज§ "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष को पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4- §1§ सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

§2§ जब तक उप-नियम§1§ के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है,

परन्तु

§1§ नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

§2§ राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

पदों की श्रेणी	भर्ती का स्रोत
§1§ निदेशक कृषि	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर कृषि निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
§2§ निदेशक, कृषि सांख्यिकी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक कृषि सांख्यिकी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यदि निदेशक, कृषि सांख्यिकी के पद पर नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक कृषि सांख्यिकी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम चार

वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से भरे जा सकते हैं।

§3§अपर निदेशक, कृषि — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक कृषि में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

§4§संयुक्त निदेशक — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशक कृषि में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा:

परन्तु संयुक्त निदेशक कृषि सांख्यिकी का पद, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशक कृषि सांख्यिकी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, भरा जाएगा।

§5§उप निदेशक कृषि — मौलिक रूप से नियुक्त उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के सदस्य, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के विभिन्न अनुभागों से पदोन्नत सदस्यों के प्रतिनिधित्व को उसी अनुपात में बनाये रखा जायेगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी दो को अनुभागीय सदस्य संख्या भर्ती के सुसंगत वर्ष के प्रथम दिवस को थी:

परन्तु यह और कि उप कृषि निदेशक कृषि सांख्यिकी के पद केवल उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के कृषि सांख्यिकी

अनुभाग के सदस्यों में से भरे जायेंगे।

आरक्षण

6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार- भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

7- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा:

परन्तु उप निदेशक कृषि की श्रेणी में रिक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के प्रत्येक अनुभाग के लिये अलग-अलग अवधारित की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

8- §।§ निदेशक और अपर निदेशक कृषि के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1-	सरकार के मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2-	कृषि विभाग में, यथा स्थिति, सरकार के प्रमुख सचिव और या सचिव	सदस्य
3-	कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव	सदस्य

§2§ संयुक्त निदेशक और उप निदेशक कृषि के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1- कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होगा।

2- कृषि विभाग में सरकार के सचिव।

3- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा।।

§3§ नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पद सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा:

परन्तु उप निदेशक कृषि के पदों पर चयन के लिए पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के सदस्यों में से अनुभागवार तैयार की जायेगी।

§4§ चयन समिति उप-नियम§3§ में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

§5§ चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी

और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी:

परन्तु उप निदेशक कृषि के पदों के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची अनुभागवार तैयार की जायेगी, अर्थात उसमें उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के भिन्न-भिन्न अनुभागों का अलग -अलग प्रतिनिधित्व होगा।

भाग-पाँच नियुक्ति परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

9- §1§ नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में, जिसमें वे नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हो, लेकर नियुक्तियाँ करेगा।

§2§ यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा:

परन्तु यदि उप कृषि निदेशक की श्रेणी में पदों के लिये चयन उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के एक से अधिक अनुभागों से किया गया हो, तो नियुक्ति के आदेश में नामों को, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के सम्बन्ध अनुभागों के लिये उपलब्ध रिक्तियों के होने के दिनांक के क्रम में, रखा जायेगा:

परन्तु यह और कि उप निदेशक कृषि की श्रेणी में पदों के लिए उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-दो के सम्बद्ध अनुभाग के लिए उपलब्ध रिक्ति के होने का दिनांक या नियुक्ति के

लिए पात्रता का दिनांक जो भी पश्चात्-वर्ती हो, नियुक्ति का दिनांक होगा।

परिवीक्षा 10- §1§ सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

§2§ नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा, अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

§3§ यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान कर सकने में अन्यथा विफल रहा हो तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

§4§ उप नियम-§3§ के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

§5§ नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न

या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण ।।-§।§ उप नियम §2§ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

§क§ उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,

§ख§ उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

§ग§ नियुक्ति अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

§2§ जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, ।99। के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उक्त नियमावली के नियम-5 के उपनियम§3§ के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है,स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता ।2- सेवा में, किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, ।99। के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-छः वेतन इत्यादि

वेतनमान 13-§1§ सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

§2§ इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 14-§1§ फण्डामेन्टल रूल्स के किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

§2§ ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा था, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के

कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

§3§ ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-सात- अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

15- सेवा या पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

16- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

17- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू

होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्याहृति 18- इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से
ह0/-
(रमेश यादव)
सचिव

परिशिष्ट

(नियम 4(2) और 13(2) देखिये)

क्र0सं0	श्रेणी का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या		योग	वेतनमान
			स्थायी	अस्थायी		(रूपये)
1	2	3	4	5	6	7
1-	निदेशक कृषि	निदेशक कृषि	1	-	1	5900-200-6700
2-	निदेशक कृषि सांख्यिकी	निदेशक कृषि सांख्यिकी	1	-	1	4100-125-4850-150-5300
3-	अपर निदेशक कृषि					
		1- अपर निदेशक कृषि (सामान्य)	1	-	1	4500-150-5700
		2- अपर निदेशक कृषि (भूमि संरक्षण)	1	-	1	-तदैव-
		3- अपर निदेशक कृषि (प्रसार)	-	1	1	-तदैव-
		4- अपर निदेशक कृषि (तिलहन)	-	1	1	-तदैव-
		5- अपर निदेशक कृषि (चावल)	-	1	1	4500-150-5700

1	2	3	4	5	6	7
		6- अपर निदेशक कृषि (पर्वतीय)	-	1	1	4500-150-5700
		7- निदेशक (जल प्रबन्ध)	-	1	1	-तदैव-
4-	संयुक्त निदेशक कृषि	1- संयुक्त निदेशक कृषि (प्रसार एवं आपूर्ति)	1	-	1	3700-125-4700-150-5000
		2- संयुक्त निदेशक कृषि (बीज एवं फार्म)	1	-	1	-तदैव-
		3- संयुक्त निदेशक कृषि (गेहूँ एवं बाजरा)	1	-	1	-तदैव-
		4- संयुक्त निदेशक कृषि (नियोजन)	1	-	1	-तदैव-
		5- संयुक्त निदेशक कृषि (दाल)	-	1	1	-तदैव-
		6- संयुक्त निदेशक कृषि (मृदा सर्वेक्षण)	-	1	1	-तदैव-
		7- संयुक्त निदेशक कृषि (अभियन्त्रण गोमती)	-	1	1	-तदैव-

1	2	3	4	5	6	7
		8- संयुक्त निदेशक कृषि (जल प्रबन्ध)	-	1	1	3700-125-4700-150-5000
		9- क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि (प्रसार)	-	11	11	-तदैव-
		10-विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी0 और वी0)	-	2	2	-तदैव-
		11-विषय वस्तु विशेष (पौध संरक्षण, टी0 और वी0)	-	1	1	-तदैव-
		12-संयुक्त निदेशक कृषि (राष्ट्रीय जल विभाजक)	-	1	1	-तदैव
		13-प्रधानाचार्य, कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर	-	1	1	-तदैव
		14-संयुक्त निदेशक कृषि सांख्यिकी	1	-	1	-तदैव- (आस्थगन में)
		15-संयुक्त निदेशक कृषि (यांत्रिक एवं सारणीकरण)	1	-	1	3700-125-4700-150-5000
		16-संयुक्त निदेशक कृषि (मूल्यांकन)	-	1	1	-तदैव

2	3	4	5	6	7
- उप निदेशक कृषि	1- उप निदेशक कृषि (मुख्यालय)	1	-	1	3000-100-3500-125-4500
	2- उप निदेशक कृषि (प्रशिक्षण)	1	-	1	3000-100-3500-125-4500
	3- उप निदेशक कृषि (प्रसार)	-	55	55	-तदैव-
	4- उप निदेशक कृषि (भूमि संरक्षण)	6	10	16	-तदैव-
	5- उप निदेशक कृषि (भूमि संरक्षण) मुख्यालय)	1	-	1	-तदैव-
	6- उप निदेशक कृषि (भूमि संरक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	-	1	1	-तदैव-
	7- उप निदेशक कृषि (भूमि संरक्षण प्राविधिक परीक्षण)	-	1	1	-तदैव-
	8- क्षेत्रीय उप निदेशक कृषि (पर्वतीय)	2	-	2	-तदैव-

2	3	4	5	6	7
	9- उप निदेशक कृषि मुख्यालय (पर्वतीय)	-	1	1	3000-100-3500-125-4500
	10-परियोजना अधिकारी (पर्वतीय)	-	6	6	3000-100-3500-125-4500
	11-प्रभारी अधिकारी भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	-	2	2	-तदैव-
	12-प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय।	2	-	2	-तदैव-
	13-सहायक प्राध्यापक विद्यालय	-	2	2	-तदैव-
	14-विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान	1	-	1	-तदैव-
	15-विषय वस्तु विशेषज्ञ (वानिकी)	1	-	1	-तदैव-
	16-विषय वस्तु विशेषज्ञ (अभियन्त्रण)	1	-	1	-तदैव-
	17-विषय वस्तु विशेषज्ञ (मृदा)	1	-	1	-तदैव-

2	3	4	5	6	7
	18-कृषि अभियन्ता (मुख्यालय)	1	-	1	3000-100-3500-125-4500
	19-कृषि अभियन्ता (पश्चिम और केन्द्रीय परिक्षेत्र)	-	1	1	-तदैव-
	20-कृषि अभियन्ता (पूर्वी परिक्षेत्र)	1	-	1	-तदैव-
	21-उप निदेशक वनस्पति संरक्षण	1	13	14	-तदैव-
	22-उप निदेशक (उर्वरक और खाद)	1	-	1	-तदैव-
	23-उप निदेशक (प्रयोग)	1	-	1	-तदैव-
	24-ज्येष्ठ उर्वरक और कीटनाशक विश्लेषक	-	2	2	-तदैव-
	25-सहायक प्राध्यापक (अभियन्त्रण और जल प्रबन्ध)	-	2	2	-तदैव-

2	3	4	5	6	7
	26-उप निदेशक कृषि सांख्यिकी	1	5	6	3000-100-3500-125-4500
	27-उप निदेशक कृषि एवं प्रभारी अधिकारी (पर्वतीय)	1	-	1	-तदैव-
	28-उप निदेशक कृषि (भूमि संरक्षण कमान्ड क्षेत्र)	-	3	3	-तदैव-

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश

पत्रांक ए0ए0-118 7जी/ए-3-सेवा नियमावली,लखनऊ, दिनांक; अप्रैल 13,1992

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1445/12-1-92 दिनांक 29-2-92 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि {समूह-क- के पद} सेवा नियमावली 1992 को अधिसूचना संख्या-1382/12-1-92-2134/77 दिनांक 29-2-92 की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

{1} महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
{2} समस्त अपर कृषि निदेशक{ प्रदेश में}
{3} निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसलबीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
{4} निदेशक {जल प्रबन्ध} राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा}लखनऊ
{5} समस्त संयुक्त कृषि निदेशक {प्रदेश में}
{6} समस्त उप कृषि निदेशक {भूमि संरक्षण}
{7} समस्त उप कृषि निदेशक {प्रसार}
{8} वरिष्ठ उर्वरक विश्लेषक, उर्वरक एवं कीट नाशी गुण नियन्त्रण प्रयोग शाला आलमबाग, लखनऊ।
{9} उप निदेशक उवर्रक एवं खाद, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
{10} समस्त कृषि अभियन्ता
{11} उप कृषि निदेशक {प्रशिक्षण} कृषि भवन, लखनऊ।
{12} उप कृषि निदेशक, पौड़ी एवं नैनीताल मंडल।
{13} समस्त परियोजना अधि0 कृषि पर्वतीय।
{14} विषय वस्तु विशेषज्ञ {अभियन्त्रण} कृषि भवन, लखनऊ।
{15} विषय वस्तु विशेषज्ञ {मृदा} कृषि भवन, लखनऊ।
{16} विषय वस्तु विशेषज्ञ {वानिकी} कृषि भवन, लखनऊ।
{17} विषय वस्तु विशेषज्ञ {शास्य} कृषि भवन, लखनऊ।
{18} उप कृषि निदेशक{मुख्यालय} कृषि भवन, लखनऊ।
{19} प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर।
{20} प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विधालय, चिरगॉव झॉसी तथा गोरखपुर।

§21§ उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण §अनुश्रवण एवं मूल्यांकन§ कृषि भवन, लखनऊ।

§22§ उप कृषि निदेशक § भूमि संरक्षण§प्राविधिक सम्प्रेक्षण§ कृषि भवन, लखनऊ।

§23§ समस्त उप निदेशक §कृषि रक्षा§ कृषि भवन, लखनऊ।

§24§ प्रभारी अधिकारी भूमि संरक्षण पर्यवेक्षण केन्द्र, मुजफ्फराबाद §सहारनपुर§ एवं मऊरानीपुर§झाँसी§।

§25§ उ0कृ0नि0 §भू0स0§ मुख्यालय, लखनऊ।

§26§ विषय वस्तु विशेषज्ञ §टी0एण्ड वी0§ कृषि भवन, लखनऊ।

§ वी0 डब्लू0 अम्बेकर §
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग- 1
संख्या- 2478 /12-1-96-125/95
लखनऊ दिनांक 27 जून, 1996

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि समूह "क" पदों सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि समूह "क" पदों सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली, 1996

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि समूह "क" पदों सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली, 1995 कही जायेगी ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम-5 का संशोधन
उत्तर प्रदेश कृषि समूह "क" पदों सेवा नियमावली 1992 में नियम-5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (3) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(3) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक कृषि में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:	(3) अपर निदेशक कृषि- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक, कृषि में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपर्युक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो सेवा की अपेक्षित अवधि को एक वर्ष तक शासन द्वारा शिथिल किया जा सकता है ।

आज्ञा से,

अनीस अंसारी,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2478/12-1-96-2134/77, dated 1996

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
AGRICULTURE SECTION-1

NOTIFICATION

Miscelleneous
No.2478/12/1-96-2134/77
Dated Lucknow, 27 June, 1996

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Agriculture (Group "A" Posts) Service Rules, 1992.

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURE (GROUP "A"POSTS)SERVICE SECOND AMENDMENT) RULES,1996

Short title and commencement - (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Agriculture (Group 'A' Posts) service (Second Amendment) Rules,1996

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 5 (3) - In the Uttar Pradesh Agriculture (Group "A" posts) Service Rules,1992 for the existing clause (3) set out in column 1 below,the clause as set out in column 2 shall subsituted namely;-

COLUMN 1 Existing clause	COLUMN 2 Clause as hereby substituted
(3) Additional Director of Agriculture- By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors of Agriculture, who have completed at least two years service as such on the first day of july of the year of recruitement.	(3) Additional Director of Agriculture- By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed joint Directors of Agriculture, who have completed at least two years service as such on the first day of July of the year of recruitment:- Provided that if sufficient number of persons are not available for promotion, the requisite length of substantively service may be reduced to One year.

BY ORDER,

(ANIS ANSARI)
SECRETARY.

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-1
संख्या-4269/12-1-93-2134/77
लखनऊ: दिनांक: जनवरी 7, 1991
अधिसूचना/प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि (समूह "क" पद) सेवा नियमावली, 1992 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश कृषि (समूह "क" पद) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1-	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि (समूह "क" पद) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायेगी । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम-5 का संशोधन	2-	उत्तर प्रदेश कृषि समूह "क" पद (सेवा नियमावली, 1992 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 5 के खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रति स्थापित खण्ड
(2) निदेशक कृषि सांख्यिकी मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक कृषि सांख्यिकीय में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि निदेशक, कृषि सांख्यिकीय के पद पर नियुक्ति के लिये कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक कृषि सांख्यिकीय, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से भरे जा सकते हैं ।	(2) निदेशक कृषि सांख्यिकी--- मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक कृषि सांख्यिकीय में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार अग्रवाल
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1382/12-1-92—2134-77, dated February 29, 1992 :

No. 1382/12-1-92-2134/77
February 29, 1992.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Agriculture (Group "A" Posts) Service :

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURE (GROUP "A" POSTS) SERVICE RULES, 1992

PART I—GENERAL

1. *Short title and commencemen*—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Agriculture (Group "A" Posts) Service Rules, 1992.

(2) They shall come into force at once.

2. *Status of the service*—The Uttar Pradesh Agriculture (Group "A" fPosts) Service is a State Service comprising Group "A" posts.

3. *Definitions*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "appointing authority" means the Governor ;

(b) "constitution" means the Constitution of India;

(c) "Government" means the State Govern ment of Uttar Pradesh ;

(d) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(e) "member of the service means a person substantively appointed under these rules of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service ;

(f) "Service" means the Uttar Pradesh Agriculture (*Group* "A" Posts) Service ;

(g) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the rule and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government ;

(h) "year of the recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II—CADRE

4. *Cadre of service*—(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be as may be determined by the Govern-ment from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix :

Provided that—

(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation ; or

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III—RECRUITMENT

5. *Source of recruitment*—Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

	Category of Posts	Source of recruitment
(1)	Director of Agriculture	By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Additional Directors of Agriculture, who have completed at least two years service as such on the first day of July of the year of recruitment.
(2)	Director of Agricultural Statistics	By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors of Agricultural Statistics, who have completed at least four years as such on the first day of July of the year of recruitment : Provided that if no suitable candidate is available for appointment to the post of Director of Agricultural Statistics, the post may be filled from amongst substantively appointed Deputy Directors of Agricultural Statistics, who have completed at least four years service as such on the first day of July of the year of recruitment.
(3)	Additional Director of Agriculture	By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed joint Directors of Agriculture, who have completed at least two years service as such on the first day of July of the year of recruitment.

	Category of Posts	Source of recruitment
(4)	Joint Director of Agriculture	By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Director of Agriculture, who have completed at least two years of service as such on the first day of July of the year of recruitment : Provided that the post of Joint Director of Agricultural Statistics, who have completed at least two years service as such on the first day of July of the year of recruitment.
(5)	Deputy Director of Agriculture	By promotion through Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed members of the Uttar Pradesh Agriculture Class-II Service, who have completed at least five years of service as such on the first day of July of the year of recruitment Provided that the representation of members promoted from various sections of the Uttar Pradesh Agriculture Class-II Service shall be maintained in the same proportion as the sectional strength of the Uttar Pradesh Agriculture Class-II Service as it stands on the first day of the relevant year of recruitment: Provided further that the posts of Deputy Director of Agricultural Statistics shall be filled from amongst the members of the Agricultural Statistics Section of the Uttar Pradesh Agriculture Class-II Service only

6. *Reservation*—Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV—PROCEDURE FOR RECRUITMENT

7. *Determination of vacancies*—The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6 :

Provided that the number of vacancies in the category of Deputy Directors of Agriculture shall be determined for each section of the Uttar Pradesh Agriculture Class-I Service separately.

8. *Procedure for recruitment by promotion*—

(1) Recruitment by promotion to the posts of Director and Additional Director of Agriculture shall be made on the basis of merit through the Selection Committee comprising :—

1. Chief Secretary to Government. ... Chairman
2. Principal Secretary and or Secretary to Government, as the case maybe, in Agriculture Department, as the case may be. ... Member(s)
3. Secretary to Government in Personnel Department. ... Member

(2) Recruitment by promotion to the posts of Joint Director and Deputy Director of Agriculture shall be made on the basis of merit through the Selection Committee comprising :

1. Secretary to Government in Personnel Department or an Officer nominated by him, who shall not be below the rank of Joint Secretary to Government.
2. Secretary to Government in Agriculture Department.
3. Director of Agriculture, Uttar Pradesh

The Senior Secretary to Government shall be the Chairman of the Selection Committee.

(3) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1980 and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may considered proper :

Provided that eligibility lists for selection to the posts of Deputy Directors of Agriculture shall be prepared sectionwise from amongst members of the Uttar Pradesh Agriculture Class-II Service.

(4) The Selection Committee shall consist the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (3), and, if considers necessary, it may also interview candidates.

(5) The Selection Committee shall prepare list of selected candidates in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment and forward the same to the pointing authority :

Provided that the list of selected candidates for the posts of Deputy Directors of Agriculture shall be prepared sectionwise, i e., representing various sections of the Uttar Pradesh Agriculture Class II Service separately.

PART V—*Appointment, Probation, Confirmation and Seniority*

9. *Appointment*—(1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 8.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as it stood in the cadre from which they are promoted :

Provided that if for posts in the category of Deputy Director of Agriculture, selection has been made from more than one section of the Uttar Pradesh Agriculture Class II Service, the names in the order of appointment shall be arranged in order of the date of occurrence of vacancies available for the concerned sections of the Uttar Pradesh Agriculture Class II Service :

Provided further that for posts in the category of Deputy Director of Agriculture, the date of appointment shall be the date of occurrence of vacancy available for the concerned section of the Uttar Pradesh Agriculture Class-II Service of the date of eligibility for appointment, whichever is later.

10. *Probation*—(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensaion.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

11. *Confirmation*—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if—

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory ;

(b) his integrity is certified, ; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants' Confirmation Rules, 1991, confirmation is not *necessary*, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

12. *Seniority*—The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall 'be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants' Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART VI—*Pay, etc.*

13. *Scales of Pay*—(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the -time of the com» me-ncement of these rules are given in the Appendix

14. *Pay during probation*—(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall he owed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VII OTHER PROVISIONS

15. *Canvassing*—No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist Support directly or indirectly for candidature will disqualify him for appointment.

16. *Regulation of other matters*—In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

17. *Relaxation from the conditions of service*—Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order, dispense with or relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

18. *Savings*—Nothing in these rules affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to th Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

ANNEXURE

[*See* RULES 4 (2) AND 13 (2)]

Serial No.	Name of category	No. of posts			Pay scale
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	*Director of Agriculture* :				Rs.
	Director of Agriculture	1	..	1	5,900—200—6,700.
2.	*Director of Agriculture, Statistics* :				
	Director of Agriculture, Statistics	1	..	1	4,100—125—4,850—150—5,300.
3.	*Additional Director Agriculture:*				
	1 Additional Director Agriculture (General).	1	..	1	4,500—150—5,700.
	2 Additional Director Agriculture (Soil Conservation).	1	..	1	Do.
	3 Additional Director Agriculture (Extension).	..	1	1	Do.
	4 Additional Director (Oil Seeds).	..	1	1	Do.
	5 Additional Director Agriculture (Rice).	..	1	1	Do.
	6 Additional Director Agriculture (Hill).	—	1	1	Do.
	7 Director (Water Management).	—	1	1	Do.
4.	*Joint Director of Agriculture* :				
	1 Joint Director of Agriculture (Extension and Supply).	1	—	1	3,700—125—4,700—150—5,000.
	2 Joint Director of Agriculture (Seeds and Farms).	1	—	1	Do.
	3 Joint Director of Agriculture (Wheat and Millets).	1	—	1	Do.
	4 Joint Director of Agriculture (Planning).	1	—	1	Do.
	5 Joint Director of Agriculture (Pulses).	—	1	1	Do.
	6 Joint Director of Agriculture (Soil Survey).	—	1	1	Do.
	7 Joint Director of Agriculture (Engineering Gomati).	—	1	1	Do.
	8 Joint Director of Agriculture (Water Management).	—	1	1	Do.
	9 Regional Joint Director of Agriculture (Extension).	—	11	11	Do.
	10 Subject Matter Specialist (T and V).	—	2	2	3,700—125—4,700—150—5,000.
	11 Subject Matter Specialist (Plant Protection T and V).	—	1	1	Do.
	12 Joint Director of Agriculture (National Water shed).	—	1	1	Do.

1	2	3	4	5	6
	13 Principal, Agriculture School, Bulandshahr.	—	1	1	Do.
	14 Joint Director of Agricultural Statistics.	1	—	1	Do. (In abeyance)
	15 Joint Director of Agriculture (Mech. and Tabulation).	1	—	1	3,700—125—4,700—150—5,000.
	16 Joint Director of Agriculture (Evaluation).	—	1	1	Do.
5.	*Deputy Director of Agriculture* :				
	1 Deputy Director of Agriculture (Headquarters).	1	—	1	3,000—100—3,500—125—4,500
	2 Deputy Director of Agriculture (Training).	1	—	1	Do.
	3 Deputy Director of Agriculture (Extension).	—	55	55	Do.
	4 Deputy Director of (Soil Conservation).	6	10	16	Do.
	5 Deputy Director of Agriculture (Soil Conservation) Headquarters.	1	—	1	Do.
	6 Deputy Director of Agriculture (Soil Conservation Monitoring and Evaluation).	—	1	1	Do.
	7 Deputy Director of Agriculture (Soil Conservation) Technical Audit.	—	1	1	Do.
	8 Regional Deputy Director of Agriculture (Hill).	2	—	2	Do.
	9 Deputy Director of Agriculture Headquarters (Hill).	—	1	1	Do.
	10 Project Officer (Hill).	—	6	6	Do.
	11 Officer-in-charge Soil Conservation Training Centre.	—	2	2	Do.
	12 Principal, Government Agriculture Schools.	2	—	2	Do.
	13 Assistant Professor Schools.	—	2	2	Do.
	14 Subject Matter Specialist (Agronomy).	1	—	1	Do.
	15 Subject Matter Specialist (Forestry).	1	—	1	Do.
	16 Subject Matter Specialist (Engineering).	1	—	1	Do.
	17 Subject Matter Specialist (Soil).	1	—	1	Do.
	18 Agriculture Engineer (Headquarters).	1	—	1	Do.
	19 Agriculture Engineer (West and Central Zone).	—	1	1	Do.
	20 Agriculture Engineer (East Zone).	1	—	1	Do.
	21 Deputy Director Plant Protection.	1	13	14	Do.
	22 Deputy Director (Fertilizer and Manures).	1	—	1	Do.
	23 Deputy Director (Experiment).	1	—	1	3,000—100—3,500—125—4,500
	24 Senior Fertilizer and Pesticides Analyst.	—	2	2	Do.
	25 Assistant Professor (Engineering and Water Management).	—	2	2	Do.
	26 Deputy Director of Agricultural Statistics.	1	5	6	Do.
	27 Deputy Director of Agriculture-cum-Officer-incharge (Hill).	1	—	1	Do.
	28 Deputy Director of Agriculture (Soil Conservation) (Command Area).	—	3	3	Do.

By order.
RAMESH YADAV,
Secretary.

टिप्पणी– राजपत्र, दिनांक 23–10–92, भाग 1–क में प्रकाशित।
[प्रतिलिपित सूचनार्थ प्रेषित–]
सी0एस0यू0पी0—1 सा0(कृषि)—14–1–94–500 (मोनो)।

मुद्रक : प्रसार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
1994 - 1,000

फसलों के अवशेष कदापि न जलायें

खेतों में फसल अवशेष जलाने पर हानि

- फसल अवशेषों को जलाने से मृदा ताप में बढ़ोत्तरी होती है। जिसके कारण वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- फसलों के अवशेषों को जलाने से उनके जड़, तना, पत्तियों में संचित लाभदायक पोषक तत्वों को नष्ट हो जाना।
- फसल अवशेषों में लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं, जिसके कारण वातारण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- पशुओं के चारे के व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- फसल अवशेष जलाने पर अगल-बगल के खेतों में आग लगने की सम्भावना एवं खड़ी फसल अथवा आबादी में अग्निकाण्ड होने की सम्भावना बनी रहती है।

विशेष जानकारी हेतु कृषि विभाग के स्थानीय कर्मचारी/अधिकारी से सम्पर्क करें अथवा कृषि विभाग की वेबसाइट http://upagripardarshi.gov.in देखें।

प्रकाशक : ब्यूरो, कृषि विभाग, 9, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ